NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 98/NCRES/19 Date : 01.04.2019

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :– ट्रैकमैन कैटेगिरी को रिस्क व हार्डशिप एलाउन्स न दिया जाना।
सन्दर्भ:– रेलवे बोर्ड का पत्र सं. PC-VII/2018/1/7/5/2 दिनांक 28.08.2018

महोदय,

NCRES ने दिनांक 23 जनवरी 2019 को PNM बैठक की ओपनिंग सेशन में बताया था कि NFIR की मांग पर ट्रैकमेन्टेनर कैटेगिरी में कीमैन, मेठ, पैट्रोल मैन, गेटमैन और आर्टीजन स्टाफ को रिस्क व हार्डशिप एलाउंस देने के लिये रेलवे बोर्ड ने दिनांक 28.8.2018 को आदेश जारी किया था जिसके अनुसार कीमैन व मेठ को 6000/–, पेट्रोल मैन को 4100/–, स्पेशल और A क्लास गेट पर कार्यरत गेटमैन को 4100/– तथा आर्टीजन स्टाफ जैसे – लोहार, वेल्डर और उनके साथ के हेल्परों को 2700/– दिया जाना था लेकिन अभी तक रिस्क व हार्डशिप एलाउंस का भुगतान नही हुआ है जिसपर PNM बैठक में ही NCRES को आश्वस्त किया गया था कि जल्द भुगतान किया जायेगा, लेकिन इलाहाबाद, झांसी और आगरा मण्डल द्वारा अभी तक भुगतान नही किया गया है।

NCRES को ज्ञात हुआ है कि रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2018 के बाद नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रधान कार्यालय द्वारा ट्रैकमैन कैटेगिरी को नये रेट के अनुसार रिस्क व हार्डशिप एलाउन्स का भुगतान करने के लिये कोई निर्देश जारी नही किया गया, जिसके कारण इलाहाबाद, झांसी और आगरा मण्डल ने अभी तक भुगतान नही किया है।

NCRES का अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.08.2018 के अनुपालन में मेठ और कीमैन को 2700/– की जगह 6000/–, पेट्रोलमैन और गेटमैन को 2700/– की जगह 4100/– और पी.वे. आर्टिजन लोहार, वेल्डर और उनके हेल्पर को 2700/– का भुगतान करने के लिये इलाहाबाद, झांसी और आगरा मंडल को उचित निर्देश जारी किया जाय और उसकी प्रति NCRES को अवश्य दिया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री